फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत–**सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी,** बमुकाम– भीनमाल

वादी / ~~प्रार्थी~~ — मनोहरी W/o सोनाजी पुरोहित नि. मोड़ो की ढाणी भीनमाल वगैरा

बनाम

प्रतिवादी / ~~अप्रार्थी~~ — खंगा S/o इरा पुरोहित मोड़ो की ढाणी भीनमाल वगैरा (3)

किस्म मुकदमा – राजस्व **वाद / प्रार्थना पत्र** / .... , **नंबर**– 50/2015 /20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
23/11/15	वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव द्वारा दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण / ~~अप्रार्थीगण~~ पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो । प्रतिवादीगण / ~~अप्रार्थीगण~~ जरिए समन तलब होकर मिशल आयंदा तारीख 22/12/2015 को पेश हो ।	समन फॉर्म नं. 190 23-11-15
22/12/2015	वादीगण के अधिवक्ता उप. [signature] सहायक कलेक्टर भीनमाल प्रतिवादी क्र. 1 का तामील शुदा हुआ है जो तामील पर्याप्त है किन्तु प्रतिवादी क्र. 1 गैर हाजिर है। प्रतिवादी क्र. 1 का सुना जा कर बतौर आवाज दिलवाई गई मगर कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः एवं प्रतिवादी क्र. 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। क्र. 2 पर्विदा उपस्थित। क्र. 3 गैरहाजिर किलावाहित, जवाब तारीख 12/1/2016 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर भीनमाल	

Scanned by CamScanner

जमना देवी .... बनाम .... रूडा

किस्म मुकदमा राजस्व वाद प्रकरण संख्या 50/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
1.7.19	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादी प्रार्थना पत्र जवाब हेतु अवसर चाहते हैं न्यायोहित मे अवसर दिया जाता है मिसल तारीख 10.7.19 को पेश हो।	
10.7.19	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र जवाब पेश किया नकल वादी वकील को दिलवाई गई आज श्रीमान A.C. सा० बाहर पधारे हुए है मिसल तारीख 22.7.19 को पेश हो।	
22.7.19	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। आज वादीगण के अधिवक्ता ने एक दरख्वास्त बाबत प्रतिवादी संख्या 1 रूडा पुत्र श्री के कायम मुकाम रेकार्ड पर लेने का प्रस्तुत किया गया जाकर उल्लेख किया कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी 1 रूडा का देहान्त हो गया है तथा उक्त वारिसान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के प्रथम श्रेणी का अन्य कोई वारिसान नही है वादी भोमाराम भी आज से करीब 6 माह पहले दुर्घटना होने से वह बेड रेस्ट में था तथा शेष वादीगण अपने अपने ससुराल में रहती है इसलिए वादीगण द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 के देहान्त की सूचना अदालत हाजा में नहीं दे पाए थे। और न ही इस संबंध में अपने	सहायक ...

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता को इत्तला कर सके थे। यह दरख्वास्त पेश कर वादीगण द्वारा जान बुझकर या दुर्भावनावश किसी भी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं किया गया है उक्त विलम्ब क्षम्य योग्य होना बताते हुए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत दरख्वास्त मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम वारिशान को रेकर्ड पर लिया जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दरख्वास्त का जवाब प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि वाद में 1 से अधिक वादी-गण है जिन सभी को रूडा की मृत्यु का ज्ञान था। अत दरख्वास्त भौमाराम द्वारा पेश की है जिसमें अपना ईलाज व दुर्घटना होना बताया है लेकिन ईलाज की कोई पर्ची या हास्पीटल का कोई एडमिट कार्ड पेश नहीं किया है और न ही यह बताया है कि किस हॉस्पीटल में भौमाराम का इलाज चल रहा है तथा रूडाराम की मृत्यु नहीं बताई है तथा वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र 90 दिन की अवधि के भीतर न्यायालय में पेश किया जाना था जो पेश नहीं किया गया है। जिसे वादी का वाद उपशमन योग्य है। तथा उनके द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 का भी जवाब प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि उक्त प्रार्थना पत्र वादी द्वारा 90 दिन की मर्यादा अवधि

जगराम (?) बनाम रूडा

किस्म मुकदमा राजस्व (?) प्रकरण संख्या 50 (?) / 2015 (?)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में पेश किया जाना था। जो रूडा की मृत्यु दिनांक 15-02-2019 के लम्बे समय पश्चात् पेश किया गया जिससे वादी को उक्त तथ्यों का ज्ञान था इसलिए वादी का उक्त कृत्य क्षमा योग्य नही है। अतः एवं वादी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी व प्रकरण एवं प्रस्तुत दरख्वास्त एवं फेहरिश्त के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 रूडा के कायम मुकाम को रेकार्ड पर लिये जाने के उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के सम्बंध में स्पष्ट कारण व्यक्त नही किए गए है साथ ही वादी द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व इलाज करवाने के संबंध में कोई दस्तावेज यथा हास्पिटल में एडमिट होने एवं ईलाज करवाने बाबत पेश नही किये गए, केवल कथन कर उल्लेख किया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति अनुसार रूडाराम का देहांत दिनांक 15-02-2019 को हुआ है जबकि वादी द्वारा उसके कायम मुकाम रेकार्ड पर लिये जाने की दरख्वास्त न्यायालय के समक्ष दिनांक 26-06-2019 को प्रस्तुत की गई है। जबकि भारतीय मर्यादा अधिनियम 1963 के अन्तर्गत 90 दिन की अवधि निश्चित है। वादी व प्रतिवादी दोनो रोडा की ढाणी के निवासी है, जिससे यह नही माना जा सकता है कि वादी को प्रतिवादी नम्बर 1 के	

सहायक कलक्टर
बीलाड़ा

Scanned by CamScanner

डालकी बनाम ४०३

किस्म मुकदमा दावा ५५ प्रकरण संख्या 57 /

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहमद हुक्म की मेंजा
	कायम मुकाम को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि के पश्चात पेश किया गया है साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई स्पष्ट कारण व्यक्त नहीं किया गया है एवं न ही प्रमाणित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र खारीज किया जाने योग्य है। इसलिए वादी का उक्त प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादी संख्या 1 रुडा पुत्र ईरा के कायम मुकाम रेकार्ड पर लेने का खारिज किया जाता है। भारतीय मर्यादा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 120 के अनुसार व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत मृत वादी या मृत अपीलार्थी या मृत प्रतिवादी के वैध प्रतिनिधि को पक्षकार बनाने के लिए निर्धारित समयावधि 90 दिन की है। चूंकि: इस वाद में एक ही पक्षकार है तथा अन्य दो प्रतिवादी औपचारिक पक्षकार है। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके कायम मुकाम रेकार्ड पर नहीं होने से वादीगण का उक्त उपशमन योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का उक्त वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 22-07-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर, सोजत	